A6
7

RCMS No. : 2017/00092

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 05/17

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर।

बनाम

अभियुक्त (मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्त्ता) श्री सीताराम कुम्हार पुत्र श्री मनफूलरमा कुम्हार जाति कुम्हार निवासी 3 एसटीआर, वार्ड नं 6, नई धानमण्डी, घडसाना जिला श्रीगंगानगर

फर्म – मै. शिव शंकर मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड घडसाना, जिला श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

निर्णय दिनांक : 15 सितम्बर ,2017

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री विनोद कुमार शर्मा दिनांक 19.11.2016 से कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्री गंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्य सम्पादन कर रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के द्वारा उन्हें कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकत्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में आते है।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.11.2016 को दोपहर 02:00 पी.एम. पर फर्म मै. शिव शंकर मिष्ठान भण्डार, बस स्टैण्ड, घड़साना

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

Ao
2

जिला श्रीगंगानगर पहुंचे। विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया तथा परिचय लिया। श्री सीताराम कुम्हार फर्म शिव शंकर मिष्ठान भण्डार, घड़साना पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के रूप में मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को कतली बर्फी, मावा, मिठाई, आदि बनाकर बेच रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ कतली बर्फी के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान के काउण्टर में रखी स्टील ट्रे में लगभग 5 किलो कतली बर्फी रखी हुई थी, कतली को अच्छी तरह हिला मिला कर एक रूप किया एवं इस एक रूप किये हुए में से 2 किलो कतली बर्फी एक साफ सूखे भिगोने में खरीदी, कतली बर्फी की कीमत 400 रूपये अदा की एवं खरीद की रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्त्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की शीशियां दिखाई, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य करोबारकर्त्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किए। तत्पशचात खरीद शुदा कतली बर्फी को चार नमूना बोतलों में बराबर–बराबर भरा। प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंद फार्मलीन डाली गई। चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना बोतलों को कॉर्क से एयरटाईट बंद किया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप के–730 को नियमानुसार नीचे ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बंद कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता सीताराम कुम्हार ने पढकर, सुनकर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यलय पहुंचकर फार्म 6 की 8 प्रतियां तैयार की उस पर नमूने को सीलड करते समय कम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म संख्या 6 की एक–एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग–अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा, ऊपर नीचे, आजू बाजू सील चपड़ी किया तथा फार्म संख्या 6 की दो दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग–अलग बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूने के चारों

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A6/3

भागों एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के एक भाग एवं फार्म संख्या 6 का एक सील बंद लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा शेष तीन सील बंद नमूना भाग मय फार्म 6 की सील बंद लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ., श्रीगंगानगर को स्वयं ने जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इसके पश्चात् खाद्य विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/3422/एक्ट/2016/1094 दिनांक 07.12.2016 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के–730 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(II) के अन्तर्गत **अमानक** (सब–स्टैण्डर्ड) पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्रीगांनगर ने अभियुक्त के विरूद्व एफ.एस.एस.ए.एक्ट 2006 नियम 2011 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 29.05.2017 को प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस कतली बर्फी का नमूना जांच हेतु लिया गया था, उसमें नमूना संख्या के–730 लेते समय फार्म नं 5 ए मे खोया + शुगर+मैदा+वसनस्पती लिखा है जबकि जांच रिपोर्ट के अनुसार रंग पाया गया है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना संख्या के–730 में रंग था, जो फार्म नं 5 ए में नहीं लिखा। खोया बर्फी, जलेबी, बून्दी, लडडू, गुलाब जामुन आदि में खाद्य रंग डाला जा सकता है। रंग के बारे में जांच हेतु खाद्य विश्लेषक को लिखा ही नही था जबकि विक्रेता खुली मिठाई बेचता है, जिस पर कोई लेबल नहीं होता है। फिर भी खाद्य विश्लेषक द्वारा रंग की जांच की गई है जो कि खाने वाला रंग है। खाद्य सुरक्षा विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी स्पष्ट अंकित किया है कि Absent As per Memorandum जिसके कारण कतली बर्फी को Substandard Food माना गया है। अप्रार्थी ने कथन किया है कि खाद्य नमूना संख्या के–730 में किसी भी प्रकार से कोई अवहेलना नहीं की गई है, जांच रिपोर्ट के अनुसार धारा–3(1)(ZX) के अनुसार खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित नहीं है, जिसमें किसी को कोई भी असुरक्षा नहीं होती है।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त श्री सीताराम कुम्हार पुत्र श्री मनफूलराम कुम्हार मै0 शिव शंकर मिष्ठान भण्डार, घडसाना से लिया गया मावा का सैम्पल के–730 जाचं रिपोर्ट क्रमांक एलएस/3422/एक्ट/2016/1094 दिनांक 07.12.2016 द्वारा **सबस्टैण्डर्ड (अमानक)** पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के उल्लंधन का अपराध साबित होता है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A6
5

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि The sample of "Katli Burfi" bearing Code No. and Sr. No. K-730 of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar , is Substandard Food Under Section 3(1)(ZX)of FSS Act. 2006.

फलस्वरूप, श्री सीताराम कुम्हार – मै. शिव शंकर मिष्ठान भण्डार, श्रीगंगानगर को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 उपधारा 2(II) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री सीताराम कुम्हार को एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 2500/– (अखरे रूपये दो हजार पांच सौ मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को पालनार्थ भेजी जावे। निर्णय आज दिनांक 15.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/9/17

(नख़तदान बारहठ)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्री गंगानगर।

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर